राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2708/2019

श्री कपिल कोठारी

–अपीलार्थी

बनाम

प्रमुख शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, राजस्थान, तिलक मार्ग, योजना भवन जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 24.09.2019
आदेश की दिनांक : 05.04.2019

समक्ष :– **अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)**
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी श्री कपिल कोठारी स्वयं उपस्थित तथा प्रत्यर्थी विभाग की ओर से डॉ पुष्पेन्द्र पाल सिंह उपस्थित।
2. अपीलार्थी का अभिकथन है कि अपीलार्थी का चयन सहायक प्रोग्रामर के पद के विरूद्ध विरष्ठता–सह–योग्यता के आधार पर राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम 1992 के आधार पर रिक्त उपलब्धता एवं पिछले वर्ष की उत्कृष्ठ सेवाओं के आधार पर चयन सूची में शामिल किया गया था। रिक्ति उपलब्धता की दिनांक को प्रार्थी अपीलांट के विरूद्ध कोई विभागीय/आपराधिक कार्यवाही लंबित नहीं थी। दिनांक 07.08.2018 को रेस्पोडेंट द्वारा प्रार्थी अपीलार्थी को अपने आदेश क्रमांक एफ.2(2172)/डी.ओ. आई.टी./संस्था/14/एमएल–4224 दिनांक 07.08.2018 से 48 घंटे से अधिक समय तक न्यायिक अभिरक्षा में रहने के कारण निलम्बित कर मुख्यालय करौली किया गया था। उक्त निलंबन आदेश की वैधता को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में सिविल रिट संख्या 14692/2018 से चुनौती दी गई थी जिस पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा मुख्यालय करौली को स्थगित कर मुख्यालय उदयपुर किया गया था। वर्तमान में निलंबन आदेश की वैधता संबंधित कार्यवाही पर नोटिस जारी जा चुके है और वह माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। दिनांक 21.12.2018 को सहायक प्रोग्रामर के कुल 768 पदों पर पदोन्नति समिति की बैठक

आयोजित की गई जिसके अनुसार प्रार्थी/अपीलांट के नाम का लिफाफा बंद रखा गया। समिति के आदेश का बिंदू संख्या 8 निम्नानुसार है :–

''निम्नलिखित कर्मचारियों जो कि वर्तमान में निलंबित चल रहे हैं, विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा जांच निस्तारित होने तक बन्द लिफाफा (Sealed Cover) किया गया है।

श्री कपिल कोठारी	विभागीय आदेश क्रमांक एफ.2(2172)/डी.ओ.आई.टी./संस्था/14/एमएल–4224 दिनांक 07.08.2018 के द्वारा श्री कोठारी को 48 घंटे से अधिक समय के लिए न्यायिक अभिरक्षा में होने के कारण दिनांक 26.07.2018 से निलंबित किया गया है।''

3. उपरोक्त अभिकथनों के आधार पर अपीलार्थी का तर्क रहा है कि अपीलार्थी के विरूद्ध अभी तक कोई विभागीय कार्यवाही प्रारंभ नहीं की गई है। ऐसे में विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा अपीलार्थी की पदोन्नति का मामला बन्द लिफाफे में रखा जाना पूर्णतः गलत है। उनका यह भी तर्क है कि बैठक में पद रिक्त/उपलब्धता की तिथि 01.04.2018 का अंकन किया गया है। यानिकी समस्त पदोन्नत राज्य कर्मचारियों को दिनांक 01.04.2018 से पश्चातवर्ती पदोन्नति/रिक्ति की उपलब्धता की दिनांक से पदोन्नति प्रदान की गई है। अपीलार्थी का कथन है कि रिक्ति की तिथि 01.04.2018 अपीलार्थी के विरूद्ध कोई विभागीय जांच या फौजदारी कार्यवाही लंबित नहीं थी। ऐसे में अपीलार्थी की पदोन्नति का लिफाफा बंद करने का आदेश गलत है। अपीलार्थी का यह भी तर्क है कि राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 04.06.2008 में जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार किसी राजसेवक की पदोन्नति रिक्ति/उपलब्धता की दिनांक को ही लंबित कार्यवाहियों को ध्यान में रखा जाता है। अतः अपीलार्थी की पदोन्नति का लिफाफा बन्द करने का आदेश गलत होकर अपास्त योग्य है।

4. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलार्थी के विरूद्ध एसीडी विभाग द्वारा एफआईआर दर्ज की गई थी एवं उनके विरूद्ध आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है। अपीलार्थी को निलम्बित किया जा चुका है। विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की दिनांक को अपीलार्थी के विरूद्ध विशेष न्यायालय सेशन जज एसीबी उदयपुर के यहां फौजदारी प्रकरण लंबित था। अपीलार्थी का मामला बन्द

लिफाफे में रखे जाने का उचित कारण विद्यमान है, जो कि उनका निलम्बन होना है। इसके अलावा अपीलार्थी के विरूद्ध गंभीर आरोप में चार्जशीट प्रस्तुत हो चुकी है। अतः अपीलार्थी का मामला बन्द लिफाफे में रखा जाना उचित है।

5. हमने दोनों पक्षों के उपरोक्त तर्कों पर विचार किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अनुशीलन कर मनन किया।

6. अपीलार्थी की ओर से विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण अनुलग्नक–3 के रूप में प्रस्तुत किया है, जिससे प्रकट होता है कि अपीलार्थी के संबंध में समिति द्वारा यह विवरण अंकित किया है कि अपीलार्थी को 48 घंटे से अधिक समय के लिए न्यायिक अभिरक्षा में रहा था। इस कारण से दिनांक 26.07.2018 को उसे निलंम्बित किया गया है। उपरोक्त विवरण अंकित करते हुए विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा अपीलार्थी के संबंध में जांच निस्तारण होने तक उसका मामला बन्द लिफाफे में रखा गया है। अपीलार्थी का मुख्य रूप से यह तर्क रहा है कि अपीलार्थी को पूर्व वर्ष की रिक्तियों के संबंध में पदोन्नति प्रदान की जानी है, ऐसे में रिक्ति की उपलब्धता के दिवस तक की स्थिति ही देखी जानी है। उस दिवस के पश्चात् दर्ज फौजदारी प्रकरण के आधार पर पदोन्नति नहीं रोकी जा सकती। हमनें अपीलार्थी के उक्त तर्क पर मनन किया। विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की कार्यवाही विवरण अनुलग्नक–3 के अवलोकन से भी प्रकट होता है कि जिन कर्मचारियों को पदोन्नति प्रदान करने की अनुशंसा की गई है, उनके लिए पद रिक्ति/उपलब्धता की तिथि 01.04.2018 अंकित की गई है। यह सही है कि रिक्ति उपलब्धता के दिवस के पश्चात् अपीलार्थी के विरूद्ध फौजदारी प्रकरण दर्ज हुआ था। परंतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक के समय अपीलार्थी निलम्बित था। प्रत्यर्थी विभाग ने इस आधार पर अपीलार्थी को पदोन्नति से वंचित नहीं रखा है कि उसके विरूद्ध फौजदारी प्रकरण दर्ज है, बल्कि विभागीय पदोन्नति समिति के समक्ष अपीलार्थी का मामला रखा गया था और अपीलार्थी की पदोन्नति हेतु उसकी योग्यता की जांच भी की गई है। केवलमात्र अपीलार्थी के संबंध में निर्णय विभागीय पदोन्नति समिति ने इस आधार पर बन्द लिफाफे (sealed cover) में रखा है कि अपीलार्थी निलम्बित है। हमारे द्वारा राजस्थान सरकार कार्मिक विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.2(1)कार्मिक/क–2/अं.प्र./91 दिनांक 04.06.2008 का

परिशीलन किया गया। उक्त परिपत्र के मद संख्या 12 का सुसंगत भाग निम्न प्रकार है–

12. **लम्बित अनुशासनिक कार्यवाही/फौजदारी प्रकरण का पदोन्नति पर प्रभाव**

12.1 पदोन्नति के विचारण के समय विचारण सीमा में आने वाले निम्नलिखित प्रकार के राजसेवकों के बारे में विशेष रूप से विभागीय पदोन्नति समिति का ध्यान दिलाया जाएः– (i) राजसेवक निलम्बित हों, (ii) राजसेवक के विरूद्ध अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा आरोप पत्र प्रसारित कर दिया गया हो, (iii) राजसेवक के विरूद्ध सक्षम फौजदारी न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया जाकर अभियोजन लम्बित हो।

12.2 अनुशासनिक कार्यवाही के संदर्भ में यह स्पष्ट स्थिति है कि अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा आरोप पत्र विधिवत रूप से प्रसारित किये जाने की स्थिति में ही अनुशासनिक जांच कार्यवाही लम्बित होना माना जायेगा।

12.3 फौजदारी प्रकरण उस स्थिति में लम्बित माना जावेगा जब सक्षम न्यायालय में राजसेवक के विरूद्ध इस्तगासा अथवा चालान (report of police) प्रस्तुत कर दिया गया हो एवं न्यायालय द्वारा उसका प्रसंज्ञान लिया गया हो।

12.4 बन्द लिफाफा (sealed cover) प्रकिया उसी पद के लिये पश्चात्वर्ती अवधि में आयोजित होने वाली समस्त विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकों में भी अपनाई जावेगी और इस आशय का अंकन कार्यवाही विवरण में अंकित किया जावेगा जब तक कि राजसेवक के विरूद्ध लम्बित अनुशासनिक कार्यवाही/फौजदारी प्रकरण निस्तारित नहीं हो जाए/निलम्बन से बहाल नहीं कर दिया जाए।

12.5 उपरोक्त राजसेवकों की पदोन्नति हेतु सुयोग्यता की जांच उनके विरूद्ध लम्बित जांच/फौजदारी प्रकरणों/निलम्बन को नजरअन्दाज करते हुये की जाए। यदि राजसेवक इनके अतिरिक्त नियमानुसार गुणावगुण के आधार पर अपनी स्वयं की योग्यता के आधार पर चयनित हो जाता है तो ही उसके चयन की सिफारिश एक बन्द लिफाफे में रखी जाए।

12.6 बन्द लिफाफे पर ''श्री/श्रीमती ..... के सन्दर्भ में विभागीय पदोन्नति समिति वर्ष ..... में . .... पद हेतु पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश श्री ..... के विरूद्ध अनुशासनात्मक जांच/फौजदारी प्रकरण के लम्बित रहने तक/निलम्बन से बहाल होने तक नहीं खोला जाए'' अंकित किया जाए।

12.7 विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा राजसेवक की पदोन्नति हेतु चयन की सिफारिश बन्द लिफाफे में इसलिये रखी जाती है कि उसके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही अथवा फौजदारी प्रकरण लम्बित है अथवा वह निलम्बित है। चयन की यह सिफारिश जो बन्द लिफाफे में रखी जाती है वह इस शर्त के साथ होती है कि राजसेवक के विरूद्ध लम्बित अनुशासनिक कार्यवाही/फौजदारी प्रकरण में वह दोषमुक्त हो जाए अथवा निलम्बन से बहाल हो जाए तो पदोन्नत किया जाए। इस प्रकार की स्थिति में जब यदि राजसेवक उसके विरूद्ध लम्बित अनुशासनिक/फौजदारी प्रकरण में दोषमुक्त हो जाए अथवा निलम्बन से बहाल हो जाए, तो सम्बन्धित प्राधिकारी बन्द लिफाफा खोलकर राजसेवक को पदोन्नत करने की कार्यवाही नियमानुसार करे। इसके लिये विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक के समक्ष प्रकरण पुनः रखने की आवश्यकता नहीं है।

12.8 यदि वह राजसेवक लम्बित अनुशासनिक कार्यवाही अथवा फौजदारी प्रकरण में दोषमुक्त हो जाए तो उसके लिए बन्द लिफाफे में रखी गई रिक्ति पर उसकी पदोन्नति उससे ठीक कनिष्ठ राजसेवक की पदोन्नति के दिनांक से ही होगी और वेतन निर्धारण भी उसी दिनांक से किया जायेगा। जहां तक प्रश्न उसकी पदोन्नति से वंचित रही कालावधि का पूर्ण वेतन भुगतान किये जाने का है, इस सन्दर्भ में सक्षम प्राधिकारी गुणावगुण के आधार पर निर्णय करेंगे। यदि वेतन के अन्तर का भुगतान नहीं किया जाए तो इसके लिए स्पष्ट कारण दिए जाए जिसमें यह देखा जाए कि दोषमुक्ति तथ्यात्मक है अथवा तकनीकी/संदेह के लाभ के तौर पर। स्पष्ट किया जाता है कि यदि राजसेवक के विरूद्ध लम्बित अनुशासनिक कार्यवाही अथवा फौजदारी प्रकरण में अभियोजन पक्ष अधिरोपित आरोप/अपराध को प्रमाणित/सिद्ध करवाने में असफल रहा और राजसेवक गुणात्मक आधार पर दोषमुक्त हो जाए तो उसे वेतन के अन्तर की राशि का भुगतान देय होगा। यदि अनुशासनिक कार्यवाही/फौजदारी प्रकरण में राजसेवक को संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया गया है या अधिरोपित आरोप/अपराध का सिद्धान्तः प्रमाणिकरण माना गया है किन्तु चेतावनी, परिवीक्षा का लाभ, अन्य कारणों से दण्डित नहीं किया गया हो, तो ऐसे प्रकरणों में वेतन के अन्तर की राशि का भुगतान देय नहीं होगा।

12.9 किन्तु यदि अनुशासनिक/फौजदारी प्रकरण में राजसेवक को दण्डित कर दिया जाए तो ऐसे राजसेवक की पदोन्नति हेतु सुयोग्यता की जांच बाद के वर्षों की रिक्तियों के विरूद्ध की जाए एवं उस पूर्व वर्ष की, जिसमें इसके लिये रिक्ति रखी गई थी, की सिफारिश का पुनर्विलोकन कर इस राजसेवक के स्थान पर अन्य राजसेवक की पदोन्नति की जाए।

12.10 बन्द लिफाफा प्रकरणों की समीक्षा समय–समय पर की जाए ताकि अनुशासनिक/फौजदारी प्रकरण निर्णित होते ही बन्द लिफाफे पर आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

12.11 यदि किसी में बन्द लिफाफा प्रक्रिया अपनाई अपनाई गई हो लेकिन बाद में यह ज्ञात हो कि सम्बन्धित राजसेवक के विरूद्ध रिक्ति (जिसके विरूद्ध उसकी पदोन्नति की सिफारिश की गई है) के दिन कोई अनुशासनिक कार्यवाही/फौजदारी प्रकरण लम्बित नहीं था और त्रुटिपूर्ण सूचना के कारण बन्द लिफाफा प्रक्रिया विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा अपना ली गई थी तो इस प्रकार की

स्थिति में सम्बन्धित प्राधिकारी बन्द लिफाफा खोलकर राजसेवक को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पदोन्नत करने की कार्यवाही करे। ऐसे प्रकरणों में विभागीय पदोन्नति समिति के समक्ष प्रकरण रखे जाने की आवश्यकता नहीं है।

12.12 कुछ राजसेवक नियमों में विहित प्रक्रिया के अनुसार अनिवार्य रूप से सेवा निवृत्त किये जाने के बाद पश्चात्वर्ती कार्यवाही के परिणाम स्वरूप पूर्ण सेवा लाभ देते हुए राजकीय सेवा में पुनः ले लिये जाते हैं। सम्भव है कि उस अवधि में जबकि वे राजकीय सेवा से बाहर रहे हैं उनकी पदोन्नति के संदर्भ में राजकीय सेवा से बाहर होने के कारण विचार नहीं हो सका। इस प्रकार के राजसेवक नियमानुसार पदोन्नति के पात्र होंगे और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार विभागीय पदोन्नति समिति का पुनर्विलोकन किया जाकर पदोन्नति हेतु विचार किया जायेगा।

12.13 यह उल्लेखनीय है कि राजसेवक के विरूद्ध लम्बित अनुशासनात्मक कार्यवाही अथवा फौजदारी प्रकरण लम्बित होने की स्थिति को विभागीय पदोन्नति समिति वर्ष के प्रथम दिवस अर्थात् 1 अप्रेल की स्थिति में ही नहीं देखा जाना है वरन् राजसेवक जिस रिक्ति के विरूद्ध पदोन्नति हेतु चयनित किया जाना प्रस्तावित है, उस रिक्ति की उपलब्धता के समय बिन्दू तक लम्बित अनुशासनात्मक कार्यवाही अथवा फौजदारी प्रकरण की स्थिति विचारार्थ होगी। यह इसलिये आवश्यक है क्योंकि हालांकि रिक्तियों का अवधारण 1 अप्रेल को या उस समय की सम्भावनाओं के मध्यनजर किया जाता है किन्तु समस्त रिक्तियां 1 अप्रेल को ही उपलब्ध नहीं होती हैं, अपितु कुछ रिक्तियां बाद में भी उपलब्ध होती हैं। इस सन्दर्भ में निम्न बिन्दू ध्यान में रखने योग्य हैंः–

(i) विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा किसी भी विभागीय पदोन्नति समिति वर्ष में पदोन्नति हेतु विचार करते समय पदोन्नति के पात्र राजसेवकों के विरूद्ध लम्बित अनुशासनिक कार्यवाही/फौजदारी प्रकरण/दण्डादेश/निलम्बन की स्थिति का आंकलन उस रिक्ति के संदर्भ में किया जायेगा जिस रिक्ति के विरूद्ध राजसेवक पदोन्नति हेतु विचारार्थ है, अर्थात् राजसेवक जिस रिक्ति के विरूद्ध चयनित होता है, उस रिक्ति की उपलब्धता जिस दिवस को होती है, उस दिवस तक की स्थिति में राजसेवक के विरूद्ध लम्बित अनुशासनिक कार्यवाही/फौजदारी प्रकरण/दण्डादेश/निलम्बन इत्यादि पर विभागीय पदोन्नति समिति को विचार करना होगा।

(ii) जिन प्रकरणों में रिक्ति की उपलब्धता के दिवस से पूर्व ही विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित हो चुकी हो और संबंधित राजसेवक के चयनित हो जाने के परिणामस्वरूप पदोन्नति आदेश प्रसारित किया जाना हो तो, आदेश प्रसारित करने से पूर्व सम्बन्धित प्राधिकारी को यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा कि विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयनित राजसेवक रिक्ति की उपलब्धता की तिथि तक सेवा अभिलेख के तौर पर स्वच्छ छवि का है; अर्थात् चयनित राजसेवक के संदर्भ में जिस दिवस को रिक्ति उपलब्ध हुई है, उस दिवस तक अनुशासनिक कार्यवाही/फौजदारी प्रकरण/दण्डादेश एवं निलम्बन की स्थिति नहीं हो, अन्यथा स्थिति में उसकी पदोन्नति को आस्थगित (in abeyance) रखते हुये समिति की सिफारिशों को बन्द लिफाफे में रखे जाने की कार्यवाही की जाए।

(iii) जिन प्रकरणों में विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित हो चुकी है और राजसेवक जिस उपलब्ध रिक्ति के विरूद्ध चयनित हुआ है, उस रिक्ति की उपलब्धता की तिथि से पूर्व ही राजसेवक के विरूद्ध लम्बित अनुशासनिक कार्यवाही/आपराधिक फौजदारी प्रकरण प्रारम्भ होकर निर्णित हो जाए और उसे शास्ति अथवा दण्ड अधिरोपित हो जाए तो उसके पदोन्नति आदेश प्रसारित नहीं किये जाए और उसकी पदोन्नति सम्बन्धी सिफारिशों को आस्थगित रखते हुये विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित करके प्रकरण के पुनर्विलोकन की कार्यवाही की जाए, ताकि उक्त अयोग्य हो चुके राजसेवक की पदोन्नति का प्रकरण निस्तारित होकर अन्य सुयोग्य राजसेवकों को पदोन्नति का लाभ प्राप्त हो सके।

(iv) ऐसे प्रकरणों में जिनमें विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित हो चुकी हो और राजसेवकों के पदोन्नति के चयन की सिफारिशों के उपरान्त आदेश प्रसारण की स्थिति में राजसेवक जिस दिवस को उपलब्ध रिक्ति के विरूद्ध चयनित हुआ है, उसकी पदोन्नति का आदेश प्रसारित होने से पूर्व यदि किसी मामले में यह राजसेवक निलम्बित हो जाए तो वह राजसेवक जब तक निलम्बन से बहाल नहीं हो जाए, तब तक पदोन्नति आदेश आस्थगित रखा जाए। उसका चयन स्वतः ही बन्द लिफाफे में आ जायेगा।

(v) जिन प्रकरणों में विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक रिक्ति उत्पन्न होने के पश्चात् हो रही हो (विशेषकर पूर्व वर्षों की रिक्तियों पर पदोन्नति हेतु) और किसी राजसेवक के विरूद्ध कोई अनुशासनात्मक/फौजदारी प्रकरण जो उसके लिए प्राप्त हुई रिक्ति के पश्चात् प्रारम्भ हुआ हो और बैठक के दिनांक को लम्बित हो, तो यह प्रकरण उस राजसेवक की पदोन्नति में बाधक नहीं होगा चाहे इस प्रकरण में राजसेवक को सेवा से पदच्युत (dismissal)/सेवा से हटाने (removal) के अतिरिक्त अन्य कोई सजा दी गई हो।

(vi) वर्ष के प्रथम दिवस को राजसेवक के विरूद्ध अनुशासनात्मक/फौजदारी प्रकरण/निलम्बन लम्बित हो जिसके कारण बन्द लिफाफे की कार्यवाही आवश्यक है, परन्तु बैठक से पूर्व ही यदि उसका निस्तारण हो जाए तो इस सम्बन्ध में प्रसारित आदेश प्रवृत्त होगा, बन्द लिफाफे की प्रक्रिया नहीं।

7. अतः उपरोक्त परिपत्र दिनांक 04.06.2008 के अवलोकन से स्पष्ट है कि जिन राजसेवकों के विरूद्ध फौजदारी प्रकरण उनके लिए प्राप्त हुई रिक्ति के पश्चात प्रारंभ हुआ हो और बैठक की दिनांक को लंबित हो तो यह प्रकरण उस राजसेवक की पदोन्नति में बाधक नहीं होगा। ऐसे में राजकीय कर्मचारियों को विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा पदोन्नति हेतु सुयोग्यता की जांच उनके विरूद्ध लंबित जांच/फौजदारी प्रकरण/निलंबन को नजरअंदाज करते हुए किया जायेगा। यह भी प्रावधान है कि जहां राजसेवक निलंबित हो, वहां निलंबन से बहाल होने तक सिफारिश को एक बन्द लिफाफे में रखा जायेगा। अपीलार्थी के लिए रिक्ति उसके विरूद्ध दायर हुए फौजदारी प्रकरण से पूर्व की थी। ऐसे में अपीलार्थी का अधिकार यह रहता है कि उसके संबंध में विभागीय पदोन्नति समिति सुयोग्यता की जांच करें। अपीलार्थी प्रकरण में विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा सुयोग्यता की जांच की जा चुकी है और उसके प्रकरण को अपीलार्थी के निलंबन होने के कारण ही बन्द लिफाफे में रखा गया है। अपीलार्थी का प्रकरण इस कारण से बन्द लिफाफे में नहीं रखा गया है कि उसके विरूद्ध फौजदारी प्रकरण दर्ज हुआ है। राजसेवा के निलंबन के दौरान उसकी पदोन्नति हेतु सुयोग्यता की जांच कर सिफारिश को बन्द लिफाफे में रखे जाने का प्रावधान उपरोक्त परिपत्र दिनांक 04.06.2008 में है। वर्तमान में अपीलार्थी निलंबित चल रहा है। ऐसे में अपीलार्थी के संबंध में सिफारिश बन्द लिफाफे में रखे जाने की प्रक्रिया को अपनाये जाने में कोई त्रुटि प्रकट नहीं होती है।

8. अतः विवचेना के आधार पर हम इस अपील में कोई बल नहीं पाते है। परिणामस्वरूप अपील खारिज की जाती है।

लेखराज तोसावड़ा
सदस्य

अनन्त भंडारी, सदस्य
(न्यायिक)